आदेश	कार्यवाही विवरण श्रवण बनाम गोविन्द वगैरह वगैरह प्रकरण संख्या 144 / 2019	अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक
28-07-21	पत्रावली कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के पश्चात् आज पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। बहस वकील आवेदक सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, जिसके अनुसार विवादित सम्पति पैतृक होना साबित है तथा राजस्व रिकार्ड भी गलत बना हुआ है। आवेदक अनावेदक की जायन्दा संतान है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार आवेदक का अनावेदक के नाम से दर्ज पैतृक सम्पति में जन्मजात हक व अधिकार है। अनावेदक न्यायालय हाजा में बावजूद सम्यक तामिल के उपरान्त उपस्थित नही आया तथा ना ही अपनी जवाबदेही प्रस्तुत की और ना ही प्रतिरक्षा प्रस्तुत की है। फलस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। अगर अनावदेक विवादित सम्पति को विक्रय कर देगा तो अपूरणीय क्षति होना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मूल वाद के निस्तारण होने तक अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा के नया खाता संख्या 199 की भूमि खसरा नम्बर 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3107, 3110, 3111 रकबा क्रमशः 0.72, 0.01, 0.55, 0.07, 0.68, 1.55, 0.08, 0.08, 0.08, 1.38 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 5.17 हैक्टर, नया खाता संख्या 242 की भूमि खसरा नम्बर 3141, 3142, 3143, 3144 रकबा क्रमशः 2.02, 0.43, 0.43, 0.53 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 3.41 हैक्टर तथा नया खाता संख्या 157 की भूमि खसरा नम्बर 3146 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखे। पूर्व आदेश दिनांक 23.12.2019 को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो। निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) रबन्नगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested